मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 15,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हजारी लाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2471-एक (2) 126-अड़तालीस-2000 (सं.का.), दिनांक 20 नवम्बर, 2000 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गढ़ा सिलगिला में चार श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवकुमार पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के बुधनी स्थित स्लीपर फैक्ट्री में तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री पी.सी.शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 35 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2000 (क्रमांक 38 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. प्रतिवेदन पर चर्चा.

3 घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 5 दिसम्बर, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.